results. I am not required to defend anyone. ...(Interruptions)... If I am required to defend anyone, -- I am not required to defend the right, I am not required to defend the left -- I am required to defend the Constitution. I am required to defend your rights. ...(Interruptions)... Therefore, such an observation coming from the Leader of the Opposition is not very wholesome. We cannot have it, you see. ...(Interruptions)... We must be proud of our Government, proud of our citizens, proud of our developments. ...(Interruptions)... Hon. Members, where are we heading? You are entitled to a political stance. I am not a stakeholder in politics. ...(Interruptions)... I am not concerned with politics or parties. I am concerned with governance. I am concerned with the growth of the country....(Interruptions)...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, (Interruptions)...

SHRI SHAKTISINH GOHIL (Gujarat): Sir, I have a point of order. ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, we will now take up natters raised with the permission of the Chair. Dr. Sumer Singh Solanki. ...(Interruptions)...

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Death of children due to fall in open bore-well

डा. सुमेर सिंह सोलंकी (मध्य प्रदेश) : माननीय सभापति महोदय, नर्मदे हर! ...(व्यवधान)... मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान देश के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।...(व्यवधान)...

माननीय सभापति महोदय, देश भर में बोरवेल और ट्यूबवेल के खुले गड्ढों में गिरने से न जाने कितनी ही मासूम जिंदगियों की किलकारियाँ हमेशा-हमेशा के लिए बन्द हो रही हैं। ...(व्यवधान)... यह सरकार एवं समाज के लिए गंभीर चिन्ता का विषय है। ...(व्यवधान)... अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के खेरखेड़ी पठार गाँव में खुले बोरवेल में गिरने के बाद सात वर्षीय बालक लोकेश को नहीं बचाया जा सका। ...(व्यवधान)... इसी प्रकार, मध्य प्रदेश के दमोह, विदिशा और उमरिया जिले में भी मासूम जानें नहीं बचाई जा सकीं। ...(व्यवधान)... अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में खुले बोरवेल में गिरे पाँच साल के बच्चे को तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं बचाया जा सका। ...(व्यवधान)... तमिलनाडु के त्रिची शहर के नादुकट्टुपट्टी गाँव में बोरवेल में गिरे दो वर्षीय बालक सुजीत को भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की हर मुमकिन कोशिशों के बाद भी नहीं बचाया जा सका। ...(व्यवधान)... पंजाब के संगरूर जिले में 150 फुट गहरे बोरवेल में गिरे 3 साल के फतेहवीर सिंह को भी नही बचाया जा सका।

महोदय, विगत वर्ष उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में वाराणसी के पिंडारा में भी ऐसी घटनाएँ घटित हुईं, जिसमे छः साल की मासूम बच्ची एवं 13 वर्षीय अनिकेत यादव की मौत हो गई थी। हरियाणा के हल्दाहेडी गाँव में वर्ष 2006 में पांच वर्षीय प्रिंस के 50 फुट गहरे बोरवेल के गड्ढे में गिरने के बाद न्यूज़ टीवी चैनलों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दृश्य लाइव दिखाए थे, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान ऐसे हादसों की ओर गया था, जिससे यह भी उम्मीद जगी थी कि भविष्य में ऐसे हादसे सामने नही आयेंगे, परन्तु आज भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है।

माननीय सभापति महोदय, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की वर्ष 2015 की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2014 में देश में जहां बोरवेल में गिरने वाले बच्चों की संख्या 48 थी, वहीं 2015 में बढ़कर वह संख्या 71 हो गयी है। तमिलनाडु के बारे में वर्ष 2014 में एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने गृह मंत्रालय को सूचित किया था कि इस राज्य में वर्ष 2010 से वर्ष 2012 के बीच 561 बच्चे बोरवेल में गिरे थे, जो कि अब यह आंकड़ा हज़ारों में पहुँच गया है। महोदय, वर्ष 2006 में हरियाणा के प्रिंस को बोरवेल से निकाले जाने के बाद से वर्ष 2015 तक करीब 16,000 से अधिक व्यक्तियों, महिलाओं और बच्चों की खुले गड्ढों में गिरने से मौत हो चुकी है। तमाम बचाव कार्यों में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। ऐसे भयावह हादसों को देखते हुए वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने बोरवेल के रख-रखाव सम्बन्धी दिशा-निर्देश जारी किये थे। माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार के हादसों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। अतः मैं आपके माध्यम से इस अति संवेदनशील और गंभीर विषय के लिए सरकार से यह आग्रह करता हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कानूनों का प्रावधान होना चाहिए, ताकि ऐसी भयावह घटनाओं का दोहराव देश में न हो, धन्यवाद।

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI PABITRA MARGHERITA (Assam): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI DEEPAK PRAKASH (Jharkhand): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.